अपील सूचना अधिकार संख्या 44/2022 (GCMS 2022/181)(आईटीआई पोर्टल नं. 212212155305633) अंकित गोदारा पुत्र श्री गोवर्धन राम गोदारा निवासी मघेवाली ढाणी, वाया जैतसर , पोस्ट ऑफिस 7 एलसी, तहसील रायसिंहनगर बनाम उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

03.08.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अंकित गोदारा स्वयं उपस्थित हुआ और कथन किया कि उसने उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक प्रार्थना पत्र पेश कर, एक बिन्दु की सूचना चाही थी, किन्तु उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के विरूद्ध पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 18.04.2022 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से निम्न सूचना चाही थी:

मिसल नं. 17/88, बालिग पुत्र आवंटन माईनल मोतीराम पुत्र गोविन्दराम जाति जाट (गोदारा) क्रमांक 526 आवंटन निर्णय दिनांक 27.03.1989 की प्रमाणित नकल, प्रतिलिपि प्रदान करवायें।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया कि इस न्यायालय के पत्रांक सीजी/वाचक/22/837 दिनांक 05.07.222 से उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से अपील पत्र के सम्बन्ध में टिप्पणी एवं सम्बन्धित रिकॉर्ड चाहा गया था, परन्तु उनके द्वारा उक्त अपील का कोई जवाब प्रेषित नहीं किया गया है, परन्तु अपीलार्थी ने अपील पत्र के साथ उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के पत्रांक सूकाअ/22/1835 दिनांक 31.05.2022 से उसे भेजे गये जवाब की प्रति संलग्न की है, जिसके अनुसार उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:39:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

> **उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि** आप द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बालिग पुत्र आवंटन मिसल नं. 17/88 अनवान् मोतीराम पुत्र गोविन्राम जाति जाट निर्णय दिनांक 27.03.1989 की प्रमाणित प्रति चाही है। जिसकी कार्यालय रिकॉर्ड में तलाश की गई है परन्तु पत्रावली उपलब्ध नहीं हुई है। रिकॉर्ड अधिक पुराना होने के कारण तलाश करने में समय लग रहा है, प्राप्त होने पर आपको वांछित रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावेगी।
>
> -sd-
> (अर्पिता सोनी)
> उपखण्ड अधिकारी
> रायसिंहनगर

चूंकि उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा अपीलार्थी को अपने पत्र दिनांक 31.05.2022 से अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की **धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है, **जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए** एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को साम[illegible] रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास [illegible] तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान [illegible]ना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस **अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नहीं**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:39:12 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है, इसलिए उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा अपीलार्थी को जो जवाब दिया गया है, वह सही है उसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी यदि वांछित पत्रावली की शीघ्र तलाश कर उसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार सूचना उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है आदेश की प्रति **उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को पालनार्थ** एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 03.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.10 10:39:12 IST
Reason: SelfAttested